तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अर्जनराम हरडू बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 54 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अर्जुनराम हरडू पता ग्राम भारीनगर, धनारी कला पं.स. बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.02.19 में उसके द्वारा (1) ग्राम रूदिया व मिण्डोली में औरण आगौर व गोचर तथा पड़त भूमि पर कितने अतिकमण 91 में दर्ज है उनका नाम सहित विवरण व अन्य 3 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया।रेस्पो.(तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 196 दिनांक 22.04.19 प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचनांए अत्यन्त विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति की है जिनको तैयार करने में अत्यधिक समय व श्रम लगने वाला है जिससे कार्यालय का रोजमर्रा का काम बाधित हो जायेगा अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) व सपठित प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अनुसरण में ऐसी सूचना दिया जाना संभव नहीं है तथा इस बाबत् प्रार्थी को जरिये पत्रांक 114 दिनांक 12.03.19 सूचित किया जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी / प्रार्थी ने बिन्दु संख्या एक से संबंधित सूचनाः दो ग्रामों में सरकारी भूमि पर कुल 91 के कितने मामले दर्ज है से संबंधित की सूची चाही गई जो संभवत् एक वर्ष की ही है तथा बिन्दु संख्या 3 व 4 कोई विस्तृत सूचना नहीं है तथा बिन्दु संख्या 02 वर्ष 2017, 2018 से संबंधित होने के कारण यह भी विस्तृत एवं विशलेषणात्मक सूचना नहीं है अतः तहसीलदार भोपालगढ की रिपोर्ट से हम सहमत नहीं है परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	